भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1492
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएमएमएस ऐप में विसंगतियां

1492. श्री इमरान मसूद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) उपस्थिति ऐप और इस समस्या का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली में समस्याओं के कारण राज्यवार कितने श्रमिक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए;

(ख) अप्रैल 2023 और 31 अक्टूबर, 2024 के बीच एनएमएमएस ऐप और भौतिक मस्टर रोल के बीच उपस्थिति में पाई गई कुल विसंगतियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि एनएमएमएस ऐप पर उपस्थिति दर्ज न करा पाने के कारण किसी भी श्रमिक को वेतन से वंचित न किया जाए; और

(घ) एनएमएमएस ऐप से संबंधित समस्याओं के संबंध में दर्ज शिकायतों की संख्या कितनी है और उक्त शिकायतों पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 जनवरी, 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए एक दिन में श्रमिकों की दो-टाइम स्टाम्प वाली ,

जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

एनएमएमएस के कारण श्रमिकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड क्षेत्र में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं हो पा रही है , तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क कवर्ड क्षेत्र में आने पर उसे अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के कारण जब उपस्थिति अपलोड नहीं हो सके तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर छूट का प्रावधान भी उपलब्ध है , जिसे अब ब्लॉक स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 (25.07.2025 तक) के दौरान, योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से 95.59% उपस्थिति दर्ज की गई है।

उपर्युक्त अपवाद प्रबंधन तंत्र के लागू होने से , एनएमएमएस के कारण कार्य या मजदूरी की हानि का कोई मामला मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाली किसी भी समस्या को मंत्रालय के समक्ष वास्तविक समय पर उठाया जाता है, जो समयबद्ध तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करता है। राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर, इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें लगातार विभिन्न सुधार किए जा रहे हैं , जैसे कि पलक झपकने और सिर गिनने की सुविधा , मेट-आईडी मैपिंग, विभिन्न स्तरों पर तस्वीरों का सत्यापन आदि।

एनएमएमएस एप्लिकेशन के कार्यान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एनएमएमएस एप्लिकेशन मजदूरी के समय पर भुगतान में भी मदद करता है क्योंकि वेतन सूची और एफटीओ उसी दिन तैयार किए जा सकते हैं जिस दिन उपस्थिति दर्ज की गई हो। इससे पहले मैन्युअल उपस्थिति प्रणाली के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता था।

एनएमएमएस ऐप और वास्तविक मस्टर रोल के मध्य डेटा विसंगतियों का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ): केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर एनएमएमएस ऐप से संबंधित मुद्दों की शिकायतों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	शिकायतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1
2	बिहार	47
3	छत्तीसगढ़	1
4	हरियाणा	2
5	कर्नाटक	1
6	मध्य प्रदेश	6
7	ओडिशा	3
8	राजस्थान	8
9	तमिलनाडू	10
10	उत्तर प्रदेश	16
	कुल	95

उपरोक्त 95 शिकायतों में से 57 का निपटान स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जा चुका है।